



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241866
CG-DL-E-11012023-241866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]
No. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 14(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस मंत्रालय के डिस्पैच राइडर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 के अधिक्रमण में, ऐसे मामलों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए थे, राष्ट्रपति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में डिस्पैच राइडर के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डिस्पैच राइडर समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2022 है।
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन स्तर संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- निरर्हता -** कोई व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो,

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के पालन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में से किसी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में छूट दे सकती है।
6. **अपवाद-** इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर-चयन पद	क्या सीसीएस(पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के वर्धित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिस्पैच राइडर	3* (2022) *कार्य के भार के आधार पर अंतर के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन लेवल 1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं	नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का माध्यम, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य: - मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस; - मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने में दो वर्ष का अनुभव; - मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा का मशीनी ज्ञान और ऐसे वाहनों में मामूली दोषों को सुधारने की क्षमता; तथा - अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने की क्षमता। नोट: अनुभव संबंधी योग्यता(ओं) में केंद्र सरकार के विवेक पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय: - किसी मान्यताप्राप्त स्कूल या बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण - होम गार्ड या सिविल डिफेंस स्वयंसेवक के रूप में अनुभव	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा पूर्व-सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःसेवायोजन

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति/समावेशन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों से, ऐसा न होने पर कॉलम 8 में निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों से नियमित डिस्पैच राइडर या समूह 'ग' कर्मचारियों से	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु): - निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष - अवर सचिव (प्रशा.) – सदस्य - अवर सचिव – सदस्य	लागू नहीं

पूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःसेवायोजन सेवानिवृत्त होने वाले या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले अपेक्षित निर्धारित अनुभव और योग्यता वाले सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी उसके बाद उन्हें पुनःसेवायोजन पर जारी रखा जाएगा। (इस या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन (3) वर्ष से अधिक न हो)		
--	--	--

[फा. सं. 12/21/2015-प्रशा.]

पल्लवी अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2022

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of this Ministry's Despatch Rider Group 'C' post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Despatch Rider in the Ministry of Women and Child Development, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Women and Child Development, Despatch Rider Group 'C' post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level.**- The number of said posts, their classification, pay level attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	No. of Post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS(Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Despatch Rider	3* (2022) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs.18000-56900)	Not Applicable	No	Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Government servants in the case of General candidates up to 40 years and in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe candidates up to 45 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of Probation , if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: 1. Possession of a valid Driving License for motor cycle or auto rickshaw; 2. Two years experience in driving motor cycle or auto rickshaw;	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption failing which by Direct Recruitment. For Ex-servicemen Deputation/re-employment

3. Knowledge of motor cycle or auto rickshaw mechanism and ability to rectify minor defects in such vehicles; and 4. Ability to read English and Hindi. Note: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribe if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: 1. 8th standard pass from a recognized School or Board. 2. Experience as Home Guard or Civil Defence Volunteer.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
<u>Deputation/absorption:</u> From amongst the regular Group 'C' employees of the Ministry of Women and Child Development failing which from regular Despatch Rider or Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government possessing qualifications and experience prescribed under column 8 <u>For ex-servicemen:</u> <u>Deputation/re-employment</u> The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department shall ordinarily not exceed three (3) years)	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Director/Deputy Secretary (Admn.) – Chairperson 2. Under Secretary(Admn.) – Member 3. Under Secretary – Member	Not applicable.

[F. No. 12/21/2015-Admn.]

PALLAVI AGARWAL, Jt. Secy.